

श्री १ कुलाचल न्यायिक डायरेक्टरी कार्यालय  
काठ पत्र प्रकाशन पर १०१ प्रिंटर को  
ले लिखता जाय पर २०२० वकील जॉर्ज  
द्वारा Not प्रिंटर आधार पर इसी स्तर  
पर खारिज किया जाता है। तथा न्यायिक  
द्वारा जारी अस्वार्थ निर्धारण दिनांक  
०२/११/२०२० को निरस्त किया जाता है।  
पत्रावली में शुभ्र होकर मूल ११३  
केलम २३

101  
Prinss  
[Signature]

उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर

